कार्यालय
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः– 4311-17 / लेखा–587 / 2024–25 दिनांकः 19 अगस्त, 2025

## कार्यालय आदेश

वित्तीय वर्ष 2024–25 मे शास्त्रीय औषधि (पी0एस0यू0) क्रय किये जाने हेतु निविदा प्रसारित की गयी जिसमे एल 01 फर्मो को औषधि आपूर्ति हेतु क्रय आदेश निर्गत किये गये है। निदेशालय के पत्र संख्या– 5245–48 / लेखा–587 / 2024–25 दिनांक 18.09.2024 के द्वारा आपूर्तिकर्त्ता फर्म **मै0 को–आपरेटिव ड्रग फैक्टरी,रानीखेत अल्मोडा** को (Billvadi Leha and Vatavidhavansam Rasa) की आपूर्ति राज्य के समस्त जनपदो मे औषधि आपूर्ति हेतु क्रय आदेश निर्गत किये गये है। आपके द्वारा आपूर्तित औषधि की जांच सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा करायी गयी जिनकी विश्लेषण आख्या निम्नवत है।

| S.No. | Name of Medicine | Batch No. | Report |
|---|---|---|---|
| 1 | Vita Vidhavamsanras | CDF-574 Mfg Date 10/2024 Exp Date 09/2027 | Not of Standard Quality |

सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा करायी गयी जांच मे आपूर्तिकर्त्ता फर्म **मै0 को–आपरेटिव ड्रग फैक्टरी,रानीखेत अल्मोडा** द्वारा आपूर्तित औषधिया अधोमानक पायी गयी है। औषधि अधोमानक पाये जाने के कारण ससमय औषधि की आपूर्ति नही हो पायी तथा औषधि क्रय के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि का उपयोग नही हो पाया। परीक्षण मे अधोमानक पाये जाने के कारण आपूर्तिकर्त्ता फर्म **मै0 को–आपरेटिव ड्रग फैक्टरी,रानीखेत अल्मोडा** को आदेश संख्या– 5245–48 / लेखा–587 / 2024–25 दिनांक 18.09.2024 के द्वारा निर्गत शास्त्रीय औषधि (पी0एस0यू0) का आपूर्ति आदेश को निरस्त किया गया। उक्त के अतिरिक्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अल्मोडा द्वारा अपने पत्र संख्या–1530–31 / सी0डी0एफ0 / 2025–26 दिनांक 28.07.2025 के द्वारा को– आपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत के निरीक्षण की सूचना / आख्या प्रेषित की गयी जिसके **बिन्दु संख्या– 03** मे निरीक्षण आख्या फार्म 35 के अवलोकन मे पाया गया कि तत्समय फैक्ट्री मे माह अप्रैल 2025 मे हब्बे सुरन्जान टैब का बैच निर्मित हो रहा था जबकि सी0डी0एफ0 रानीखेत के अभिलेखो के अनुसार कोई भी औषधि निर्मित नही हो रही थी तथा टैक्स इनवॉयस मे हब्बे सुरन्जान की उत्पादन तिथि फरवरी 2025 अंकित है।

<u>बिन्दु संख्या– 04</u> फैक्ट्री के भण्डार पंजिकाओ / अभिलेखो के अवलोकन मे पाया गया है कि दिसम्बर 2024 के उपरान्त कोई भी औषधि का निर्माण नही हुआ है तथा श्री राजाराम रस्तोगी, प्रभारी सी0डी0एफ0 रानीखेत के द्वारा अवगत कराया गया है कि फैक्ट्री मे सिविल कार्य प्रगति पर है जो सम्भवतः अगस्त 2025 मे पूर्ण होना है जिस कारण मशीनो एवं उपकरण व्यवस्थापित नही है।

<u>बिन्दु संख्या– 05</u> कच्चा औषधि भण्डार पंजिका परीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि वर्ष 2022 से च्यवनप्राश के अतिरिक्त अन्य किसी भी औषधि निर्माण हेतु कच्ची औषधि निर्गत नही

19/8/25

दर्शायी गयी है परन्तु सी0डी0एफ0 के टैक्स इनवॉयस मे कई औषधियो वर्ष 2024–25 मे बिक्री दर्शायी गयी है जैसे हब्बे सुरन्जान टैब।

बिन्दु संख्या– 06 निरीक्षण मे पाया गया है कि फैक्ट्री मे कच्ची औषधि का भण्डारण/भण्डार स्थान एवं स्वच्छता संतोषजनक नही पायी गयी है।

अतः आपूर्तिकर्त्ता फर्म मै0 को–आपरेटिव ड्रग फैक्टरी,रानीखेत अल्मोडा को एतद् द्वारा ब्लैक लिस्ट किया जाता है एवं इस आदेश के जारी होने की तिथि से आगामी तीन वर्षो के लिए आयुर्वेदिक एंव यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड द्वारा आमंत्रित की जाने वाली औषधि क्रय निविदा प्रक्रियाओ मे भाग लेने हेतु विवर्जित (Debar) किया जाता है।

19/8/25

(डॉ विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक

संख्या एंव दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, आयुष भवन बी–ब्लॉक, जी0पी0ओ0 कॉम्पलैक्स, आई0एन0ए0, नई दिल्ली।
02. औषधि महानियंत्रक, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एफ0डी0ए0 भवन आई0टी0ओ0 कोटला रोड, नई दिल्ली–110002।
03. सचिव, आयुष एंव आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
04. औषधि अनुज्ञापन अधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाये, उत्तराखण्ड।
05. समस्त राज्य मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन।
06. समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी उत्तराखण्ड।
07. गार्ड फाइल।

(डॉ विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक